सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक - 19.09.2019
समय मध्याह्ण - 03:00 बजे से
स्थान - कुलपति कार्यालय

उपस्थिति

1- प्रो. राजाराम शुक्ल, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ हरप्रसाद दीक्षित	**3-**	प्रो॰ रमेश प्रसाद
4-	प्रो॰ राजनाथ	**5-**	डा॰ दिनेश कुमार गर्ग
6-	डा॰ रविशंकर पाण्डेय	**7-**	डा॰ शीला सिंह
8-	डा॰ सूर्यकान्त	**9-**	डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा
10-	कुलसचिव - सचिव		

मंगलाचरण- डा. दिनेश कुमार गर्ग

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम संख्या-1- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 की कार्यवाही की पुष्टि।

विचार-विमर्श के क्रम में कार्यपरिषद् के कतिपय माननीय सदस्यों ने परिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार के अंतर्गत ''विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के शैक्षिक संवर्ग के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता पर विचार के सातत्य में कुलसचिव द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की तथा इसे कार्यवृत्त से हटाने के लिए कहा।

उपर्युक्त आपत्ति पर विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने निर्णय लिया कि कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सातत्य में सम्पूर्ण प्रकरण पर विस्तृत आख्या कुलसचिव कार्यालय द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

कार्यक्रम सं.-2- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 में लिये गये निर्णयों के क्रियावंयन की सूचना।

परिषद् की विगत बैठक दिनांक 02.08.2019 की क्रियावंयन रिर्पोट प्रस्तुत करते समय परिषद् को अवगत कराया गया था कि उक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार के अंतर्गत ''वेद अनुसंधान केन्द्र'' स्थापित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्यपरिषद् के उक्त निर्णय के सातत्य में ''वेद विज्ञान अनुसंधान केन्द्र'' की स्थापना के संदर्भ में अधोलिखित अध्यादेश परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है-

वेदविज्ञान अनुसन्धान केन्द्र

<u>उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-44 के अनुसार</u>

1. यह केन्द्र वेद विभाग के अन्तर्गत होगा।

2. केन्द्र की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालनार्थ एक परामर्शक मण्डल होगा, जिसका गठन कुलपति द्वारा किया जायेगा। मण्डल का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
3. परामर्शक मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का भी संचालन समय-समय पर केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
4. केन्द्र वेदों में निहित वैज्ञानिक तत्त्वों पर अनुसन्धान, संवाद तथा प्रकाशन एवं आवश्यकतानुसार अन्य गतिविधियों आदि का संचालन करेगा।
5. केन्द्र में निदेशक-01, सहनिदेशक-02, सहायक निदेशक-04, अनुसन्धान सहायक-04 तथा आवश्यकतानुसार गैरशैक्षणिक कर्मचारी होंगे।
6. विधिवत् पद सृजन एवं नियुक्ति होने तक कुलपति द्वारा नामित आचार्य केन्द्र का समन्वयक होगा तथा आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापक भी केन्द्र की गतिविधियों के संचालन में समन्वयक का सहयोग करेंगे।
7. केन्द्र के संचालन हेतु विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओ से आर्थिक/वित्तीय सहयोग लिया जायेगा।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से ''वेद विज्ञान अनुसंधान केन्द्र'' अध्यादेश पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य कार्यवाही पर स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम सं.-3- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 22831/2008 श्री निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट आफ यू.पी॰ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के सातत्य में विश्वविद्यालय द्वारा योजित स्पेशल अपील सं॰386/2019, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय व अन्य बनाम स्टेट आफ यू॰पी॰व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 तथा अवमानना याचिका सं॰ 3325/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के अनुपालन पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष परिषद् की विगत बैठक दिनांक 02.08.2019 में कार्यक्रम संख्या-3 के अंतर्गत उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर विचार के क्रम में लिये गये निर्णय कि- ''सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये विधिक राय के सातत्य में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन से शीघ्रताशीघ्र दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाये।'' के अनुपालन में शासन को प्रेषित किये गये अधोलिखित पत्र दिनांक 09.08.2019 प्रस्तुत किया गया-

सेवा में,

श्री सर्वेश कुमार सिंह
उप सचिव
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ।

विषय :- रिट याचिका संख्या 22831/2008 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2018 के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1195/सत्तर-4-2019-1850/2018 दिनांक 09.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के उक्त पत्र के क्रम में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत है -

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-22831/2008 श्री निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन पर विचार हेतु प्रकरण को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.03.2019 में प्रस्तुत किया गया।

कार्यपरिषद् के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश, प्रकरण से सम्बन्धित अन्य सभी तथ्य, तथा परिषद् में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह का लिखित मन्तव्य प्रस्तुत किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्य तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह के लिखित मन्तव्य पर गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श करने के पश्चात कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह के लिखित मन्तव्य को दृष्टि में रखते हुए प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त कर ली जाये। विधिक राय प्राप्त करने के लिए कार्यपरिषद् ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

कार्यपरिषद् द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में कुलपति महोदय द्वारा प्रकरण पर माननीय श्री कपिलदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता, 3/237, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा विधिक राय प्राप्त की गयी।

विधिक राय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-22831/2008 के सातत्य में विश्वविद्यालय द्वारा स्पेशल अपील सं.386/2019 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य योजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण पर दिनांक 30.04.2019 को अधोलिखित निर्णय पारित किया।

Court No. - 34
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 386 of 2019
Appellant :- Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya And Another
Respondent :- State Of U.P. And Another
Counsel for Appellant :- Ved Byas Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shashi Kant Dwivedi
Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.

1. With the consent of learned counsel for parties we proceed to hear and decide the appeal finally at the stage under the Rules of the court. 2. Heard Sri Ved Byas Mishra, learned counsel for the appellants, Sri Shashi Kant Dwivedi, learned counsel for respondent
2, Learned Standing Counsel for respondents 1 and perused the record.
3. This intra-Court appeal under Chapter VIII Rule 5 of Allahabad High Court Rules, 1952 (hereinafter referred to as "Rules, 1952") has arisen from judgment dated 20.09.2018 passed by learned Single Judge in Writ Petition No.22831 of 2008 whereby learned Single Judge has allowed writ petition of petitioner-respondent 2 namely Nigmeshwar Pandey with the following directions :

"21. In the light of the narrative in the preceding paragraphs -
(I) The claim of the petitioner for being regularised/ absorbed in the respondent university against a sanctioned post is lawful and valid.
(II) The petitioner is similarly situated to the four employees who were absorbed by order dated 2.2.2008.
(III) The petitioner is found to be entitled to be regularised /absorbed in the respondent University from the date of the absorption of the four employees who was absorbed against the regular sanctioned posts by letter dated 2.2.2008."

4. Learned counsel for appellants contended that at the time of regularization of others, petitioner-respondent 2 was not in service and had already left the institution but when asked the date on which according to appellants petitioner had left the institution, neither any date could be informed to the Court nor there is any pleading to this effect except a vague assertion that petitioner-respondent has left the institution, therefore, he was not considered for regularization. He also could not tell that with whom he was attached to discharge his duties and who reported to Regularization Committee that he has left the job. On this aspect also no reply has come and even there is no pleading otherwise in the counter affidavit filed before learned Single Judge nor even in appeal before this Court.
5. In these facts and circumstances, we are clearly of the view that petitioner-respondent 2 has been singled out and treated in a discriminatory manner hence learned Single Judge has rightly allowed writ petition and we find no fault in the judgment passed by learned Single Judge allowing writ petition.
6. Appeal, therefore, lacks merit. Dismissed.
Order Date :- 30.4.2019
KA
Court No. - 34
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 386 of 2019
Appellant :- Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya And Another
Respondent :- State Of U.P. And Another
Counsel for Appellant :- Ved Byas Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shashi Kant Dwivedi
Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.
Civil Misc. Delay Condonation Application No.1 of 2019
1. This is an application seeking condonation of delay in filing appeal.
2. Heard.
3. Cause shown is sufficient.
4. Delay in filing appeal is hereby condoned.
5. This application, accordingly, stands allowed.
6. Let appeal be registered with regular number and old number shall also continue to be shown in bracket for finding out details of case, whenever required by parties with reference to either of the two number.

Order Date :- 30.4.2019 KA

उक्त के संदर्भ में यह भी सूचनीय है कि याची श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा अवमानना याचिका सं॰ 3325/2019 भी योजित किया गया है। उक्त याचिका पर मा॰ उच्च न्यायालय दिनांक 23.05.2019 को अधोलिखित निर्णय पारित किया है-

Court No. - 10
Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 3325 of 2019
Applicant :- Nigameshwar Pandey
Opposite Party :- Narendra Shankar Pandey, Principal Secretary And Another
Counsel for Applicant :- Shashi Kant Dwivedi
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard learned counsel for the applicant.
By order dated 20.9.2018 passed in Writ A No. 22831 of 2008 filed by the applicant, this
Court directed as under:

22. A mandamus is issued commanding the respondent no.3, Registrar, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Secretary, Higher Education, Govt. of U.P. to take all consequential measures and take out an communications in regard to the absorption of the petitioner against a regularly sanctioned post within a period of six months from the date of receipt of certified copy of this order.
23. The writ petition is allowed. "
Learned counsel for the applicant submits that a certified copy of the aforesaid order was submitted for compliance before the opposite party but the opposite party has wilfully not complied with the order and, thus, has committed civil contempt liable for punishment under Section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971.
Prima facie a case of contempt has been made out. However, considering the facts and circumstances of the case, one more opportunity is afforded to the opposite party to comply with the aforesaid order of the writ Court within three months from the date of production of a certified copy of this order.
The applicant shall supply a duly stamped registered envelope addressed to the opposite party and another self-addressed envelope to the office within one week from today. The office shall send a copy of this order along with the self-addressed envelope of the applicant with a copy of contempt application to the opposite party within one week thereafter and keep a record thereof.
The opposite party shall comply with the directions of the writ court and intimate the order to the applicant through the self-addressed envelope within a week thereafter.
With the aforesaid observations, this application is disposed of at this stage with liberty to the applicant to move a fresh application, if the order is not complied with by the opposite party within the stipulated time as aforementioned.
Order Date :- 23.5.2019
A.K.Srivastava

उपर्युक्त प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी सूचनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित स्पेशल अपील सं.386/19 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 एवं श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा योजित अवमानना याचिका सं.3325/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के सातत्य में माननीय कुलपति महोदय के आदेश से माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह, लखनऊ से अधोलिखित विधिक राय प्राप्त की-

Justice [illegible] Singh
Former Judge Allahabad High Court
Chairman [illegible] UP [illegible]
and [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] New Delhi [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
Lucknow [illegible]
[illegible]
[illegible]

Ref. No. [illegible]

Dated: May [illegible], 2010

The Vice Chancellor,
Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya,
Varanasi 221002

Dear sir,

I have received the order dated 30.04.2010 passed by the Division Bench of Hon'ble Allahabad High Court in Special Appeal Defective No. [illegible] of 2010 in re: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya and another versus State of UP and another. The said order in its totality is reproduced as under:

"Court No. 44
Case: Special Appeal Defective No. [illegible] of 2010

Appellant: Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya and another
Respondent: State of U.P. and another
Counsel for Appellant: Ved Vyas Mishra
Counsel for Respondent: [illegible], Shashi Kant [illegible]

Hon'ble Sudhir Agarwal, J.
Hon'ble Rajendra Kumar [illegible], J.

1. With the consent of learned counsel for parties we proceed to hear and decide the appeal finally at this stage under the Rules of the Court.

2. Heard Sri Ved Vyas Mishra, learned counsel for the appellants, Sri Shashi Kant [illegible], learned counsel for respondent 2, learned Standing Counsel for respondent 1 and perused the record.

3. This Intra Court appeal under Chapter VIII Rule 5 of Allahabad High Court Rules, 1952 (hereinafter referred to as "Rules, 1952") has arisen from judgment dated 26.03.2010 passed by learned Single Judge in Writ Petition No. 22831 of 2008 whereby learned Single Judge has allowed writ petition of petitioner-respondent 2 namely [illegible] with the following directions:

"23. In the light of the discussion in the preceding paragraphs
(i) The claim of the petitioner for being regularised/absorbed in the respondent University against a sanctioned post is held to be valid.
(ii) The petitioner is similarly situated to the four employees who were absorbed by order dated [illegible].2008.
(iii) The petitioner is found to be entitled to be regularised/absorbed in the respondent University from the date of the absorption of the four employees who were absorbed against the regular sanctioned posts by letter dated [illegible].2008."

4. Learned counsel for appellants contended that at the time of regularisation of others, petitioner-respondent 2 was not in service and had already left the institution but when asked the date on which according to appellants petitioner had left the institution, neither any date could be informed to the Court nor there is any pleading to this effect except a vague assertion that petitioner-respondent has left the institution, therefore, he was not considered for regularisation. He also could not tell that [illegible] he was [illegible] to discharge his duties and [illegible] regularisation [illegible] that he has left the [illegible]. In this respect also the reply [illegible] there is no pleading otherwise [illegible] the counter affidavit filed before learned Single Judge [illegible] in appeal before this Court.

5. In these facts and circumstances, we are clearly of the view that petitioner-respondent 2 has been singled out and treated in a discriminatory manner, hence learned Single Judge has rightly allowed writ petition and we find no fault in the judgment passed by learned Single Judge allowing writ petition.

6. Appeal, therefore, lacks merit. Dismissed.

Order Date: 30.4.2010"

From a perusal of the aforesaid order passed by the Hon'ble Court, particularly para 4, it is evident that the learned counsel appearing for the University had not brought to the notice of the Hon'ble Court the correct factual position, nor did he invite the attention of the Court to the propositions of law indicated in the memo of appeal. All details ought not only to have been pleaded in the memo of appeal, but also attention of the Hon'ble Court should have been invited to those facts. I could not find any appointment letter having been issued to the petitioner or any advertisement having been made inviting applications for making appointment against a sanctioned post. In case no appointment offer was issued and no advertisement had been made to fill up the vacancy in question and also there was no sanctioned post, all those factual positions must have been pleaded and brought on record by the counsel for the University in the High Court. It appears that the office of the University has been failed to bring on record the foundation of the matter in the form of pleadings in the writ petition or in the special appeal filed before the High Court in accordance to service law. The decision taken by the Executive Council or any officer, whosoever he may be, for continuity of service in an arbitrary manner, collusively to extend benefit to the petitioner for extraneous or unforeseen reasons does not validate the appointment made in violation of service law. Mere payment of salary without foundation and appointment in accordance to rules does not confer any right on the petitioner to continue in service. The case laws cited in the memo of special appeal as well as in the report of Shri Kapil Dev, Senior Advocate as well as in my earlier opinion must have been brought on record.

While deciding number of cases as Judge of Allahabad High Court, I myself have held that any appointment made in violation of the rules, that too, in the absence of sanctioned post, shall not confer any right on the incumbent to claim regularization. (*vide* **Writ Petition No. 4725(S/S) 2005,** *Suraj Singh versus State of UP,* decided in February 2007 **and Writ Petition No. 8901 (S/S) of 2006,** *Swati versus State of UP,* decided on 13.04.2007.)

In my view, it is a fit case where review should be filed engaging some Senior Advocate of the High Court, to come forward with the case of fraudulent act behind the impugned appointment/engagement and continuation of service as fraud vitiates even a solemn act and can be challenged at any time. Simultaneously, if the University pleases, an SLP may also be filed in the Hon'ble Supreme Court.

Dear Vice Chancellor, this is a sorry state of affair in the matter of recruitment and payment of salary where everything has been done in contravention of the rules, without making advertisement of the vacancy, undergoing the process of selection, applying reservation rules and following due course of law.

Kindly engage some senior lawyer of High Court for filing review in the High Court and a prominent counsel for filing SLP in the Apex Court, and discuss the matter with such counsel before proceeding ahead and taking a final decision in the matter.

Thanking you,

With kind regards,

Yours sincerely,

14/7

(Justice D.P. Singh)

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी. सिंह के द्वारा प्रस्तुत विधिक राय के क्रम में पुनः श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा उक्त प्रकरण पर विश्वविद्यालय ने अधोलिखित विधिक राय प्राप्त की।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dated 29.07.2019

LEGAL OPINION

To,
The Vice Chancellor, Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi-221002.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सम्बन्धित प्रकरण एवं उपर्युक्त विधिक राय को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02.08.2019 में प्रस्तुत की गयी।

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह एव माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी ने उपर्युक्त विधिक राय के परिप्रेक्ष्य में कार्यपरिषद् के सदस्यों ने गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श कर सर्व सम्मत्ति से निर्णय लिया कि- ''सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये विधिक राय के सातत्य में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन से शीघ्रताशीघ्र दिशा-निर्देश प्राप्त किये जायें।''

उक्त क्रम में अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं॰ 22831/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 स्पेशल अपील सं.386/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 एवं श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा योजित अवमानना याचिका सं॰ 3325/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के सातत्य में प्राप्त विधिक राय के क्रम में दिशा-निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक-

1- मा॰ न्यायमूर्ति श्री डी.पी.सिंह की विधिक राय, दिनांक 14.07.2019।

2- श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 29.07.2019।

भवदीय,
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी

परिषद् को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित किये गये उपर्युक्त पत्र के क्रम में शासन द्वारा प्रकरण के संदर्भ में अधोलिखित आख्या विश्वविद्यालय से मांगी गयी-

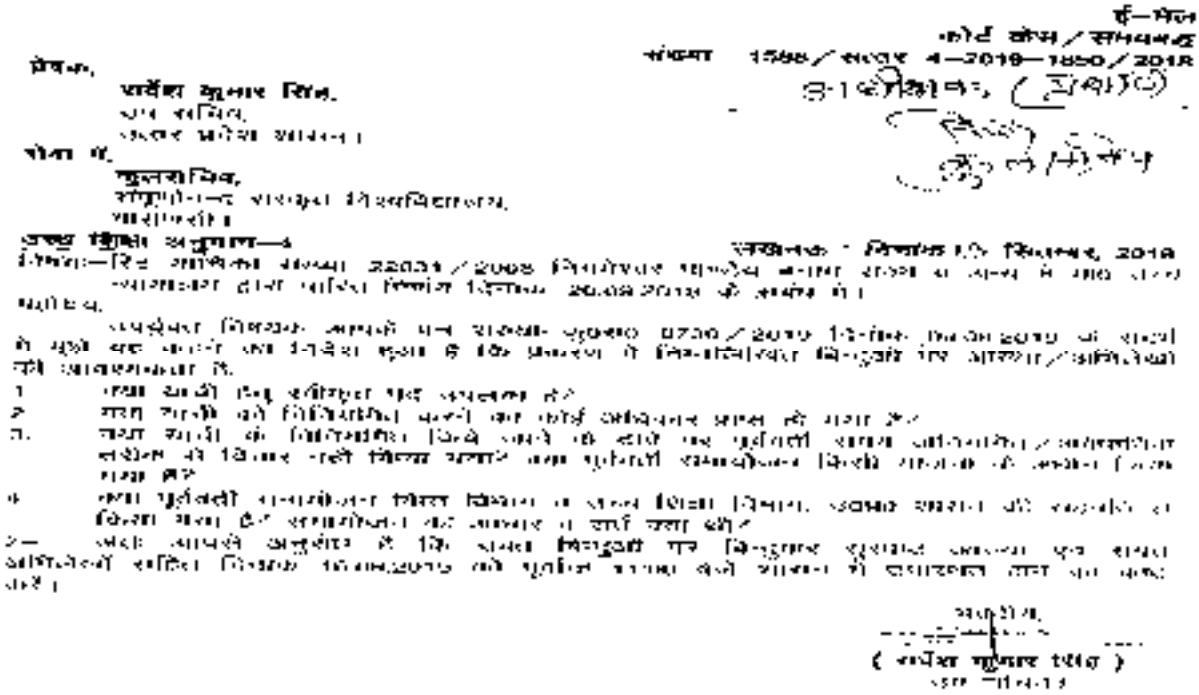

शासन के उपर्युक्त पृच्छा के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को अधोलिखित आख्या दिनांक 14.09.2019 प्रेषित की गयी।

सेवा में,

उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
लखनऊ।

विषयः-रिट याचिका-22831/2008 निगमेश्वर पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य में मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाङ्क 20.09.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1588/सत्तर-4-2019-1850/2018, दिनाङ्क 13 सितम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पत्र द्वारा मांगी गयी सूचना के सन्दर्भ में अधोलिखित तथ्य सूचनीय है –

1. वर्तमान में विश्वविद्यालय में कनिष्ठ सहायक वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 का पद रिक्त है।

2. रिट याचिका संख्या-22831/2008 निगमेश्वर पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनाङ्क 20.09.2018 व उसके विरूद्ध योजित की गयी विशेष अपील सं.386/2019 खारिज हो जाने के कारण तथा मा॰ न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्राप्त विधिक राय के आलोक में याची को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त होना प्रतीत होता है।

3. कार्यपरिषद् की बैठक दिनाङ्क 18.12.2005 में पारित निर्णय के सातत्य में प्रमाण-पत्र लेखन कार्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों के समायोजन पर विचार करने एवं अपनी संस्तुति प्रदान करने के लिए एक बैठक दिनाङ्क 02.04.2006 को आयोजित की गयी जिसे निम्न सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो॰ सुभाष चन्द्र त्रिपाठी - अध्यक्ष
2. प्रो॰ राजीव रंजन सिंह - सदस्य
3. श्री विद्याधर त्रिपाठी - कुलसचिव-सदस्य
4. श्रीमती गीतिकनासुर - वित्त अधिकारी-सदस्य

समिति तथ्यों पर विचार करने के अनन्तर स्थिति स्पष्ट करते हुए संस्तुति की कि – मात्र 04 व्यक्ति 1-श्री प्रदीप कुमार पाठक,2-श्री सुशील कुमार तिवारी 3-श्री मनोज कुमार द्विवेदी, 4- श्री संजय कुमार तिवारी कार्य कर रहे है।

समिति उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी शासनादेशों आदि का अध्ययन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इनकी नियुक्ति तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है, भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा चाहे जिस भी मद से किया गया हो। ये कर्मचारी 1992 से विश्वविद्यालय की सेवा करते आ रहे है तथा समायोजन की आशा में अन्यत्र कही गये भी नहीं। इन कर्मचारियों का समायोजन प्रारम्भ में हो जाना चाहिए था। जो शासन द्वारा विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण के अभाव में नहीं हो सका। विश्वविद्यालय द्वारा समायोजन कर लिये जाने पर मुकदमें आदि व्यय से भी विश्वविद्यालय को मुक्ति मिलेगी।

अतः समिति प्रबल रूप से इन प्रमाण-पत्र लेखकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर उपलब्ध स्थानों पर तथा भविष्य की रिक्तियों में क्रमशः समायोजन की संस्तुति करती है।

समायोजन समिति की उपर्युक्त संस्तुति के सातत्य में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने पत्र संख्या-वी.सी.1187/200/2007, दिनाङ्क 20.08.2007 द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करते हुए उपर्युक्त चार कर्मियों के समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

कुलपति महोदय के उपर्युक्त पत्र के सातत्य में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2366/सत्तर-4-2007-5(7)97 दिनाङ्क 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र लेखन कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि –

शासनादेश संख्या-1297/70-4/98-46(28)/95 दिनाङ्क 2 मई, 1998 के अनुरूप में विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र लेखन कर्मचारियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-428(1)/70-4-98-46(28)95, दिनाङ्क 4 अप्रैल, 1998 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

शासन द्वारा प्राप्त उक्त शासनादेश दिनाङ्क 18 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में समायोजन समिति दिनाङ्क 29.10.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के सातत्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनाङ्क 31.10.2007 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में चार कर्मी का समायोजन किया गया।

4. समायोजन समिति की संस्तुति के सातत्य में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने पत्र संख्या-वी.सी.1187/200/2007, दिनाङ्क 20.08.2007 द्वारा शासन को पत्र प्रेषित करते हुए उपर्युक्त चार कर्मियों के समायोजन हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया।

कुलपति महोदय के उपर्युक्त पत्र के सातत्य में शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2366/सत्तर-4-2007-5(7)97 दिनाङ्क 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र लेखन कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि –

शासनादेश संख्या-1297/70-4/98-46(28)/95 दिनाङ्क 2 मई, 1998 के अनुरूप में विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र लेखन कर्मचारियों का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-428(1)/70-4-98-46(28)95, दिनाङ्क 4 अप्रैल, 1998 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

शासन द्वारा प्राप्त उक्त शासनादेश दिनाङ्क 18 अक्टूबर, 2007 में प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में समायोजन समिति दिनाङ्क 29.10.2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के सातत्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनाङ्क 31.10.2007 में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में चार कर्मी का समायोजन किया गया।

उक्त के क्रम में शासन को यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं.22831/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 स्पेशल अपील सं.386/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2019 एवं श्री निगमेश्वर पाण्डेय द्वारा योजित अवमानना याचिका सं.3325/2019 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के सातत्य में प्राप्त विधिक राय के क्रम में प्रकरण पर विचार हेतु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को आहूत की गयी है।

भवदीय,

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

कार्यपरिषद् को कुलसचिव ने यह भी अवगत कराया कि सम्बन्धित प्रकरण पर दिनांक 16.09.2019 को उन्हें भी शासन में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था और वे बैठक में उपस्थित हुए। तथा शासन को प्रकरण से सम्बन्धित समस्त तथ्यों से अवगत कराया। जिस पर विशेष सचिव न्याय ने उपरिलिखित चार बिन्दुओं पर प्रच्छा की उन्होने यह भी पूछा कि पूर्व में चार कर्मचारियों को नियम के विरूद्ध कैसे समायोजित कर दिया गया। जिसके प्रत्युत्तर में कुलसचिव द्वारा समायोजन समिति की आख्या व तत्कालीन कुलपति द्वारा प्रेषित पत्र तथा शासन के पत्र व कार्यपरिषद् की कार्यवाही के विषय में जानकारी प्रदान की, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।

कार्यपरिषद् उपर्युक्त समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं.22831/2008 निगमेश्वर पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 के अनुपालन में श्री निगमेश्वर पाण्डेय को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक पद पर समायोजन/नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की।

कार्यक्रम सं. -4- उत्तर-प्रदेश शासन के शासनादेश सं. 633/सत्तर-1-2019-16(87)/2018, दिनांक 26 अगस्त, 2019 के द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियमित चयन की प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में प्राप्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय परिनियम 11.15 में संशोधन पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष अधोलिखित शासनादेश संख्या-633/सत्तर-1-2019-16(87)/2018, दिनांक 26 अगस्त, 2019 प्रस्तुत की गयी -

संख्या-633/सत्तर-1-2019-16(87)/2018

प्रेषक,

आर0 रमेश कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

[illegible] शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 अगस्त, 2019

विषय– सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियमित चयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की परिनियमावली में आवश्यक संशोधन करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3875/सत्तर-2-2001-16(49)/98 टी0सी0 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 20.12.2001 में अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा किये जाने का उल्लेख है।

2– उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 20.12.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में जारी किये गये राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-ई-10041/6-जी0एस0/2002 दिनांक 28-12-2011 के प्रस्तर 3 में परिनियम संख्या 11.15 "अध्यापकों का चयन व नियुक्ति" के अन्तर्गत यह उल्लेख है कि "उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों आदि के प्राविधानों के अधीन (उत्तर प्रदेश [illegible] सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थिति में) रहते हुये सम्बद्ध महाविद्यालय एवं प्रबंधतंत्र महाविद्यालय के प्राचार्य और अध्यापकों के राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर पूर्णकालिक आधार पर और सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ सेवा या स्थानीय निकाय या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतनमान में अपेक्षित रीति से नियुक्त करेगा, परन्तु पदों की स्वीकृति एवं वेतनमान अनुमन्य होने तक परिनियमावली में विहित व्यवस्था लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 एवं उसके बनाये गये नियमों/विनियमों में चयन एवं नियुक्ति से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं रीति विहित की गयी है।"

3– सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में जारी किये गये राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-ई-10041/6-जी0एस0/2002 दिनांक 28-12-2011 के प्रस्तर 3 में परिनियम संख्या-11.15 "अध्यापकों का चयन व नियुक्ति" के वाक्यांश "परन्तु पदों की स्वीकृति एवं वेतनमान अनुमन्य होने तक परिनियमावली में विहित व्यवस्था लागू रहेगी" को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्धता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्य

[illegible]

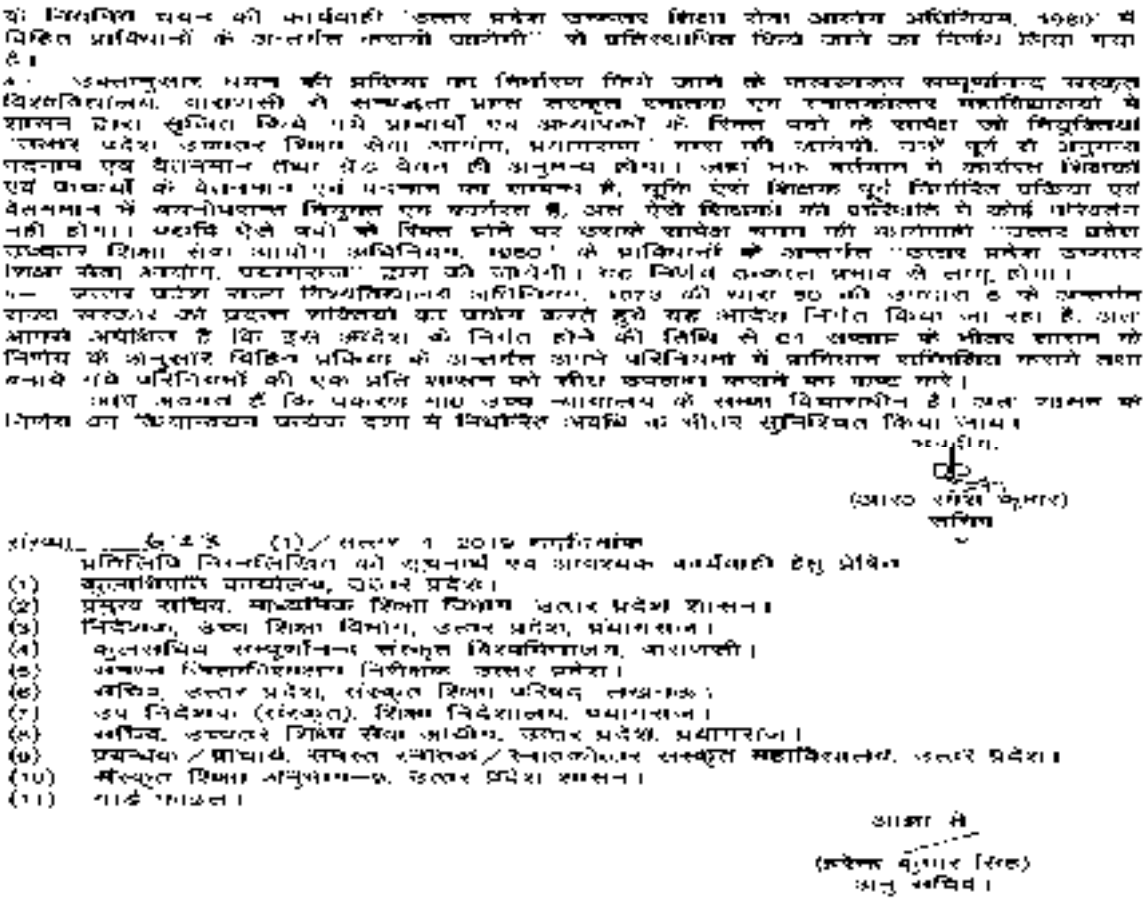

उपर्युक्त शासनादेश पर गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् कार्यपरिषद् ने अधोलिखित संकल्प पारित किया-

''उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-50 , उपधारा-6 में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यपरिषद् अनुभव करती है कि प्रस्तावित व्यवस्था परिवर्तन से सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में या अध्यापको, छात्रों या अन्य कर्मचारी वर्ग के लिये कोई लाभ नही होगा।

अतः ''कार्यपरिषद् उक्त परिनियम संशोधन पर पुनर्विचार करने के लिए शासन से अनुरोध की संस्तुति करती है।''

कार्यक्रम सं.-5- माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा दिये निर्देश के अनुपालन में जनसूचना अधिनियम के अंतर्गत श्री सोमेश तिवारी को पाण्डुलिपि की छायाप्रति प्राप्त कराये जाने के संदर्भ में विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर-प्रदेश के अधोलिखित आदेश दिनांक 25.07.2019 प्रस्तुत किया गया-

माननीय राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर-प्रदेश के उपर्युक्त आदेश पर कार्यपरिषद् ने गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मति से अधोलिखित संकल्प पारित किया।

''कार्यपरिषद् अपने पूर्व निर्णय दिनांक 19.12.2005, दिनांक 06.08.2017, 27.03.2018 एवं 27.06.2018 पर दृढ़ है तथा श्री सोमेश तिवारी द्वारा कार्यपरिषद्, कुलपति एवं कुलसचिव के प्रति की गयी असंसदीय एवं अमर्यादित टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त किया।

कार्यक्रम सं॰ -6- मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 की संस्तुतियों पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 की अधोलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी-

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसा

सम्बद्धता समिति/मान्यता समिति

दिनांक 18-09-2019
स्थान- कुलपति कार्यालय
समय-अपराह्ण 3:00 बजे

1- प्रो0 राजाराम शुक्ल — अध्यक्ष
2- प्रो0 रामपूजन पाण्डेय — सदस्य
3- कुलसचिव — सदस्य सचिव

1-**कार्यक्रम संख्या-1** निरीक्षण मण्डल की संस्तुतियों पर विचार।

1- **विमला देवी संस्कृत महाविद्यालय सराय पड़री, शंकरगंज, जौनपुर।**
विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 19-05-2018 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 3000 वर्गफुट लीज डीड संलग्न है, आफिस सहित 5 कक्ष है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः उपर्युक्त के आलोक में महाविद्यालय को नयी मान्यता शास्त्री-व्याकरण, साहित्य विषय की मान्यता हेतु संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय के पास अपेक्षित भूमि एवं भवन न होने के कारण महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदत्त न की जाय।**

2- **माँ शारदा संस्कृत महाविद्यालय सराय त्रिलोचन, पो॰बाँसगाँव, आजमगढ़।**
विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 04-09-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 1701 वर्गमीटर, कक्ष 6 निर्मित 20×25, हाल 1- 30×35, क्रीड़ाप्रांगड है। पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः उक्त के आलोक में व्याकरण एवं साहित्य शास्त्री मान्यता हेतु संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय के पास अपेक्षित भूमि एवं भवन न होने के कारण महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदत्त न की जाय।**

3- **नीलकंठ कॉलेज आँफ एजुकेशन, रेहटी, त्रिलोचन, जौनपुर।**
विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 20-10-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.380 हेक्टेयर(40902.86 वर्गफुट), कक्ष

[illegible]

4– [illegible]

5– [illegible]

6– **कंचन बालिका महाविद्यालय, बंधवा बाजार, बरावाँ, जौनपुर।**
विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 13-11-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.204 हेक्टेयर(21958.38 वर्गफुट), कक्ष 16, 15×19 3, कक्ष 12, 29×19, 01 हाल- है। पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः '' मान्यता हेतु प्रार्थित कंचन बालिका महाविद्यालय के पास मानकानुसार भूमि भवन उपलब्ध है किन्तु भूमि-भवन आदि अभिलेखों में 'संस्कृत' शब्द उल्लिखित नहीं है। ऐसी स्थिति में समिति का यह अभिमत है कि महाविद्यालय की भूमि के अभिलेखों एवं भवन में (संस्था के नाम में) कंचन संस्कृत महाविद्यालय अर्थात 'संस्कृत' शब्द को उल्लिखित कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने के अनन्तर ही उक्त महाविद्यालय को साहित्य, नव्यव्याकरण एवं प्रा॰व्याकरण विषयों के साथ शास्त्री कक्षा पर्यन्त की मान्यता प्रदान की जा सकेगी, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय को शास्त्री-साहित्य एवं व्याकरण की मान्यता इस शर्त पर स्वीकृत कि महाविद्यालय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें, कि कंचन बालिका महाविद्यालय, बंधवा बाजार, बरावाँ, जौनपुर के नाम भूमि एवं भवन पर उक्त नाम का संस्कृत महाविद्यालय ही संचालित होगा तत्पश्चात मान्यता पत्र निर्गत किया जाय।**

7– **पं॰ विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मंझरिया, सिद्धार्थनगर।**
विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 04-10-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.2898 हेक्टेयर(31193.81 वर्गफुट), 22, कक्ष 10, 26.3×19.6, 03 हाल, 33×30 वर्गफुट, पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः आवेदित महाविद्यालय को व्याकरण, साहित्य एवं पुराणेतिहास विषय में शास्त्री एवं आचार्य की मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय को शास्त्री-साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की जाय।**

8– **बाबा धर्मदेव संस्कृत महाविद्यालय, काँदर, धुवार्जुन, गाजीपुर।**
विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 28-01-2018 कि महाविद्यालय के नाम भूमि ------------ हेक्टेयर, 09 कक्ष 20×25, 01 हाल, 40×25 वर्गफुट, पुस्तकालय उपलब्ध है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः विश्वविद्यालय आदेश सं॰जी॰1026/2017 दिनांक 19-12-2019 द्वारा गठित निरीक्षक मण्डल ने दिनांक 26-01-2018 को बाबा धर्मदेव संस्कृत महाविद्यालय कॉदर, धुवार्जुन, गाजीपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरान्त कालेज द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त गठित पैनल द्वारा आख्या प्रस्तुत की जा रही है। आख्या प्रपत्र में बिन्दु संख्या 15 पर दी गई टिप्पणी विशेष रूप से विचारणीय है। कुल

संलग्नकों (सं०09) एवं कालेज में निर्मित कक्षों/भवनों के चित्रों के साथ रिर्पोट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **भूमि से सम्बन्धित मूल प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालय को निर्देश दिया कि कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करें, कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात प्रकरण अगली समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।**

9– विहारी कृष्ण विन्ध्याचल संस्कृत शिक्षण संस्थान, पहाड़पुर खुर्द, गाजीपुर।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 28-12-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि ------- 06 कक्ष 20×25 है एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः मूल चार बिन्दुओं के अभाव में मान्यता प्रदान करने की संस्तुति नहीं की जा सकती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय के पास अपेक्षित भूमि एवं भवन न होने के कारण महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदत्त न की जाय।**

10– पं० बेचन राम संस्कृत महाविद्यालय, घनश्यामपुर, राधास्वामी धाम(गोपीगंज), सन्तरविदासनगर, भदोही।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 12-09-2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि संस्था के नाम पंजीकृत है। 08 कक्ष 25×25, पुस्तकालय उपलब्ध हैं एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः विश्वविद्यालय के आदेश संख्या 1675/17 दिनांक 01-08-2017 के अनुसार निरीक्षण दल को दस्तावेज प्रस्तुत किया। कुल पत्रावली पृष्ठ संख्या 86 एवं फोटो 24 इसके साथ संलग्न है। जिला विद्यालय की आख्या अनुकूल है। सोसाइटी अधिनियम के अनुसार संस्था पंजीकृत है। भूमि और भवन महाविद्यालय के नाम से पंजीकृत नहीं है परन्तु बेचन राम सेवा संस्था नाम से पंजीकृत है। (पृष्ठ संख्या 26) उपर्युक्त के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करें, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय को शास्त्री–साहित्य, पुराणेतिहास की मान्यता इस शर्त के साथ स्वीकृत कि महाविद्यालय एक माह के भीतर भूमि सम्बन्धी अभिलेख मूल रूप में कार्यालय में प्रस्तुत करें, मान्यता प्रमाण पत्र भूमि अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद निर्गत किया जाय।**

मान्यता का उच्चीकरण

1– श्री कृष्ण ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, हाथरस।

विचार-विमर्श के क्रम में सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संलग्नक सहित तथा स्थलीय निरीक्षण हेतु गठित पैनल की आख्या दिनांक 05-10-

2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.477 हेक्टेयर(51343.85 वर्गफुट), कक्ष 25×20, 20×12, 01 हाल 40×25 पुस्तकालय उपलब्ध हैं एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः दिनांक 05-10-2017 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। यदपि प्राचीन महाविद्यालयों पर भूमि भवन का प्रतिबन्ध नहीं है तथापि महाविद्यालय हाथरस शहर में विशाल प्रांगण (मानक के दूने से अधिक) में स्थित है। महाविद्यालय का वातावरण अत्यन्त सुदम्य है। विद्यालय में 8 कक्षा कक्ष (मानकानुसार 7 आवश्यक), स्वतन्त्र पुस्तकालय कक्ष जिसमें 24 स्टील आलमारी में लगभग 6000(छः हजार) पुस्तकें उचित रख रखाव के साथ है। दैनिक जागरण एवं अमर उजाला समाचार पत्र नियमित आता है। विद्यालय में प्राचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष एवं कार्यालय कक्ष, हाल स्वतन्त्र रूप से है। लगभग 30 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास, अतिथि कक्ष जेनरेटर, कम्प्यूटर आदि सुलभ हैं। महाविद्यालय इतना समृद्ध भवन एवं पुस्तकालय कम स्थानों पर प्राप्त है। स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु 2 अध्यापकों की प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति हो चुकी है।

सम्यक स्थिति के अवलोकनोपरान्त महाविद्यालय को साहित्य एवं व्याकरण विषय में आचार्य पर्यन्त मान्यता प्रदान करने की प्रबल संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय को आचार्य–साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की जाय।**

कार्यक्रम संख्या–2 नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त करेन हेतु निरीक्षण मण्डल गठित करने के संदर्भ में विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि जिन नवीन आवेदन पत्रों की मानक के अनुसार प्रपत्र पूर्ण है उनके महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल गठित की जाय।

कार्यक्रम संख्या–3 भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने पर विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 5.2 ''सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा।'' के अनुसार भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

2017 कि महाविद्यालय के नाम भूमि 0.477 हेक्टेयर(51343.85 वर्गफुट), 11 कक्ष 25×20, 20×12, 01 हाल 40×25 पुस्तकालय उपलब्ध हैं एवं अन्य सभी औपचारिकताएं पूर्ण है। अतः दिनांक 05-10-2017 को महाविद्यालय का निरीक्षण *किया गया। यदपि प्राचीन महाविद्यालयों पर भूमि भवन का प्रतिबन्ध नहीं है तथापि* महाविद्यालय हाथरस शहर में विशाल प्रांगण (मानक के दूने से अधिक) में स्थित है। महाविद्यालय का वातावरण अत्यन्त सुदम्य है। विद्यालय में 8 कक्षा कक्ष (मानकानुसार 7 आवश्यक), स्वतन्त्र पुस्तकालय कक्ष जिसमें 24 स्टील आलमारी में लगभग 6000(छः हजार) पुस्तकें उचित रख रखाव के साथ है। दैनिक जागरण एवं अमर उजाला समाचार पत्र नियमित आता है। विद्यालय में प्राचार्य कक्ष, अध्यापक कक्ष एवं कार्यालय कक्ष, हाल स्वतन्त्र रूप से है। लगभग 30 छात्रों के रहने के लिए छात्रावास, अतिथि कक्ष जेनरेटर, कम्प्यूटर आदि सुलभ हैं। महाविद्यालय इतना समृद्ध भवन एवं पुस्तकालय कम स्थानों पर प्राप्त है। स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु 2 अध्यापकों की प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति हो चुकी है।

सम्यक स्थिति के अवलोकनोपरान्त महाविद्यालय को साहित्य एवं व्याकरण विषय में आचार्य पर्यन्त मान्यता प्रदान करने की प्रबल संस्तुति की जाती है, का गहनता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात सम्बद्धता समिति संस्तुति की कि **महाविद्यालय को आचार्य-साहित्य, व्याकरण की सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की जाय।**

कार्यक्रम संख्या-2 नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्राप्त करेन हेतु निरीक्षण मण्डल गठित करने के संदर्भ में विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि जिन नवीन आवेदन पत्रों की मानक के अनुसार प्रपत्र पूर्ण है उनके महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल गठित की जाय।

कार्यक्रम संख्या-3 भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को सम्बद्धता/मान्यता प्रदान करने पर विचार।

सम्बद्धता समिति ने विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 5.2 ''सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा।'' के अनुसार भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

विचार-विमर्श के अनन्तर कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत्ति से सम्बद्धता/मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.09.2018 में की गयी संस्तुतियों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इनसे इस आशय से शपथ पत्र प्राप्त कर लिये जाय कि वे महाविद्यालय की भूमि पर संस्कृत महाविद्यालय के संचालन के अतिरिक्त अन्य किसी गतिविधियों का संचालन नही करेंगे।

साथ ही सम्बद्धता समिति की संस्तुति के सातत्य में कार्यपरिषद् ने <u>उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-5 की उपधारा-5</u> के क्रम में भारत के बाहर के संस्कृत महाविद्यालयों को नियमानुसार सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार

1- कार्यपरिषद् को माननीय कुलपति महोदय ने सहर्ष अवगत कराया कि- विश्वविद्यालय ने दो अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ***नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल, महात्मा गाँधी इन्स्टीट्यूट, मारीशस*** एवं ***सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी*** के मध्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग तथा क्रिया-कलापो के आदान- प्रदान हेतु एक अनुबंध (MOU) हस्ताक्षरित किया है।

2- मा॰ कुलपति महोदय ने परिषद् को यह भी अवगत कराया कि ''द डिवाइन लाइफ सोसाइटी (The Divine Life Society) के द्वारा विश्वविद्यालय में परम्परागत विषयों के 17 विभागो के

शास्त्री कक्षा के तीनो वर्षो (शास्त्री-1,2 एवं 3) के प्रत्येक एक एक छात्रों को शैक्षणिक के प्रदर्शन एवं आर्थिक आधार को दृष्टि में रखते हुए रू॰10,000/- प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संस्था से अनुबंध (MOU) किया है।

कार्यपरिषद् कुलपति महोदय के उपर्युक्त सूचना से अवगत होकर कृत कार्यवाही पर अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

अंत में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुलपति महोदय की अनुमति से सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰,वाराणसी